सं.11012/11/2007-स्था.क
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 21 जून, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **केंद्रीय सिविल सेवा/ केंद्रीय सिविल पदों के सदस्यों को सतर्कता निकासी प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 14.12.2007 के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ देने और यह करने का निर्देश हुआ है कि उनके पैरा 2(ग) में निम्नानुसार सुधार किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

"(ग) सतर्कता निकासी पर रोक नहीं लगाई जाए जब तक (i) अधिकारी निलंबित हो (ii) अधिकारी स्वीकृत सूची पर हो, बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में एक वर्ष की अवधि के पश्चात् स्थिति की अनिवार्य रूप से पुनरीक्षा की जाए (iii) किसी अनुशासनिक कार्रवाई में अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया हो और कार्रवाई लंबित हो (iv) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी किए गए हों बशर्ते कि ऐसा आदेश पारित करने की तारीख से तीन महीने के भीतर आरोप-पत्र दिया गया हो (v) अन्वेषण एजेंसी द्वारा किसी आपराधिक मामले में अदालत में आरोप-पत्र दर्ज किया गया हो और मामला लंबित हो (vi) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी किए गए हों बशर्ते कि ऐसा कार्रवाई शुरू करने की तारीख से तीन महीने के भीतर आरोप-पत्र दिया गया हो (vii) दंड संहिता अधिनियम या अन्य किसी आपराधिक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या अभियोजन की अनुमति दी गई हो (viii) संबंधित विभाग द्वारा अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दायर की गई हो या मामला दर्ज किया गया हो बशर्ते कि एफ.आई.आर./मामले के दायर/दर्ज करने की तारीख से तीन महीनों के भीतर आरोप-पत्र दिया गया हो (ix) भ्रष्टाचार के आरोपों पर अधिकारी किसी छल/छापे के मामले में शामिल हो और जांच लंबित हो ।"

(जे.ए. वैद्यनाथन)
निदेशक (स्थापना)

11012/11/2007- स्था. ब
जून 2013

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. प्रधानमंत्री कार्यालय
3. मंत्रिमंडल सचिवालय
4. सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग
5. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

(i) राज्य मंत्री (पीपी) के निजी सचिव
(ii) सचिव (कार्मिक) के प्रधान निजी सचिव
(iii) अपर सचिव (एस एवं वी) के प्रधान निजी सचिव
(iv) ईओ एवं एएस के प्रधान निजी सचिव
(v) संयुक्त सचिव (स्थापना) के निजी सचिव
(vi) संयुक्त सचिव (सतर्कता) के निजी सचिव
(vii) अवर सचिव (एवीडी-। ए) को फाइल सं. 142/15/2013-एवीडी. । के संदर्भ में
(viii) एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को यह का.ज्ञा. विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु (OMs/orders→Establishment→CCS(CCA Rules)

(जे.ए. वैद्यनाथन)
निदेशक (स्थापना)